R.M.572

उ0 आदि0 (श्री प्रसाद)
14.2.11
for ACRC

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या : /I(2)/2011-04(8)-16/2009
देहरादून : दिनांक : ~~जनवरी~~ 02 फरवरी, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सरकारी अधिसूचना संख्या–278/I(2)/2010-04(8)-16/2009, दिनांक 05–02–2010 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम नैटवाड़, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी में सतलुज जल विद्युत निगम लि0 (एस0जे0वि0एन0एल0) को नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यकता है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2– चूंकि, राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी उक्त लोक प्रयोजन के लिये धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	(खसरा न0, क्षेत्र (है0 में))			
उत्तरकाशी	मोरी	नैटवाड़				
(140, 0.008)	(156 म0, 0.010)	(159 म0, 0.028)	(160, 0.041)	(161, 0.023)	(165 म0, 0.040)	(170, 0.063)
(172, 0.013)	(173, 0.043)	(174 म0, 0.013)	(177, 0.050)	(1744, 0.063)	(1745, 0.058)	(1746, 0.021)
(1747, 0.030)	(1748, 0.008)	(1749, 0.010)	(1751, 0.158)	(1752, 0.040)	(1753, 0.078)	(1755, 0.058)
(1757, 0.005)	(1759, 0.010)	(1760, 0.151)	(1761, 0.059)	(1762, 0.063)	(1763, 0.089)	(1765, 0.068)
(1766, 0.070)	(1767, 0.058)	(1768, 0.041)	(1769, 0.110)	(1770, 0.008)	(1773, 0.048)	(1774, 0.069)
(1775, 0.081)	(1777, 0.014)	(1778, 0.105)				
			योग 38 = 1.905 है0			

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:– जिला उत्तरकाशी में ग्राम नैटवाड़, तहसील मोरी में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना के बैराज निर्माण तथा डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु ।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर, उत्तरकाशी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

D:\Ninah\Land Acquisition\UO\Land Acquisition of Village Naitwar for Naitwar Mori HEP (Sec. 6).doc

संख्या : /I(2)/2011-04(8)-16/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड–'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उप महाप्रबन्धक, नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
6. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 177/I(2)/2011-04(8)/16/09, Dated ~~January~~ 03 Fab-, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand

Energy Section-I

No-177 /I(2)/2011-04(8)-16/2009

Dated: Dehradun: ~~January~~ 03 Fab, 2011

<u>Notification</u>

In continuation of Government Notification No. 278/I(2)/2010-04(8)-16/2009, dated 05.02.2010, issued under sub-section (1) of section 4 read with sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act. No. 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under sub section(1) of section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose, namely for the construction of Naitwar Mori Hydro Electric Project through Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Naitwar, Tehsil-Mori of District Uttarkashi. Therefore, direct the Collector of Uttarkashi under section 7 of the said Act to take action for the acquisition of the said land.

2- The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act, to direct that though no award under section 11 has been made, the Collector, Uttarkashi may, on the expiration of 15 days from the date of the publication of a notice under sub-section (1) of section 9, take possession of the land, mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

<u>Schedule</u>

District	Tehsil	Village	(Area in Hec.)			
Uttarkashi	Mori	Naitwar				
(140, 0.008)	(156 म0, 0.010)	(159 म0, 0.028)	(160, 0.041)	(161, 0.023)	(165 म0, 0.040)	(170, 0.063)
(172, 0.013)	(173, 0.043)	(174 म0, 0.013)	(177, 0.050)	(1744, 0.063)	(1745, 0.058)	(1746, 0.021)
(1747, 0.030)	(1748, 0.008)	(1749, 0.010)	(1751, 0.158)	(1752, 0.040)	(1753, 0.078)	(1755, 0.058)
(1757, 0.005)	(1759, 0.010)	(1760, 0.151)	(1761, 0.059)	(1762, 0.063)	(1763, 0.089)	(1765, 0.068)
(1766, 0.070)	(1767, 0.058)	(1768, 0.041)	(1769, 0.110)	(1770, 0.008)	(1773, 0.048)	(1774, 0.069)
(1775, 0.081)	(1777, 0.014)	(1778, 0.105)				
Total - 38 = 1.905 Hec.						

For what purpose required :- for construction of Naitwar Mori Hydro Electric Project through Satluj Jal vidyut Nigam Ltd. in Village Naitwar, Tehsil Mori of District Uttarkashi.

Note:- A site plan of land may be inspected by the interested person in the Office of the Collector, UttarKashi.

By Order,

(Dr. Umakant Panwar)
Secretary

D:\Nimah\Land Acquisition\UO\Land Acquisition of Village Naitwar for Naitwar Mori HEP (Sec. 6).doc